जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नगीना देहात **दिनांक 01.05.2026**

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-69/2026 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्ता को आलाकत्ल तमन्चे सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.04.2026 को समय करीब 08:30 बजे ग्राम जुलाहापुरा के जंगल में एक युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त अनुज (25 वर्ष) पुत्र विनय निवासी ग्राम जुलाहापुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के रूप में हुई। मृतक के दाहिने कान के पास गनशॉट इंजरी पाई गई। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। परिजनो की तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 69/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में प्रकाश में आयीं अभियुक्ता शोभा पत्नी सतेन्द्र निवासी ग्राम भैंडा, थाना किरतपुर को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी निशांदेही पर आलाकत्ल 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण

अभियुक्ता शोभा द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसकी शादी वर्ष 2011 में सतेन्द्र निवासी ग्राम भनैड़ा थाना किरतपुर से हुई थी, जिनसे उसकी 09 वर्षीय पुत्री है। वर्ष 2023 में वैचारिक मतभेद के कारण वह पति से अलग रहने लगी। वर्ष 2024 में उसकी जान-पहचान अनुज कुमार निवासी द्वारिकादासपुर उर्फ जुल्हापुर थाना नगीना देहात से हुई और दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। अभियुक्ता के अनुसार अनुज उसके साथ मारपीट करता था, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था तथा उसकी बहन से छेड़छाड़ करने पर विरोध करने पर मारपीट की गई, जिस संबंध में थाना नजीबाबाद पर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था और वह जेल गया था। जेल से आने के बाद भी वह अपने साथियों को घर लाकर गलत हरकतें करता व पैसे मांगता था। अनुज शोभा की लड़की जो करीब 10 वर्ष की है उस पर भी ग़लत निगाह रखने लगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शोभा से संबंध बनाने के लिए कहा।

दिनांक 28/4/2026 की रात्रि अनुज शोभा को लेकर पहले कैफ़े में गया वहां बैठा रहा फिर रात करीब 10 बजे वहां से लेकर गाँव की तरफ़ गया जहाँ पहले शोभा के साथ संबंध बनाये फिर शोभा के साथ मारपीट की। शोभा ने वहां पर ख़ुद को मारना चाहा लेकिन फिर बेटी का ख्याल दिमाग़ में आने पर अनुज के तमंचे से अनुज को गोली मार दी और वहां से निकल गई।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता

शोभा पत्नी सतेन्द्र निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रा0नि0 प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिहं चौहान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 737 सुभाष थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
3. म0का0 2410 विशाखा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
4. हे0का0 149 चन्द्रप्रभात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
5. म0का0 2405 सरिता थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।